

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राज. जयपुर  
क्रमांक:- ई-18/एम/से.नि./जोन-उदयपुर/एफ.00947/2023/747 दिनांक : 08/11/2023

## आदेश

श्री सालार मोहम्मद मकरानी, सहा० प्रशा० अधिकारी, अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), बांसवाडा जिनकी जन्म तिथि 16.06.1964 है को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.06.2024 से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री सालार मोहम्मद मकरानी, सहा० प्रशा० अधिकारी, अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), बांसवाडा के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- ई-18/एम/से.नि./जोन-उदयपुर/एफ.00947/2023/747 दिनांक : 08/11/2023  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. श्री सालार मोहम्मद मकरानी, सहा० प्रशा० अधिकारी को उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref  
5021156

Document certified by SURESH  
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh  
Kumar Nawal  
Designation: Director  
Date :07-11-2023 09:23:05